संख्या-204/2016/आर-5385/26-3-2016-4(56)/96टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 नवम्बर 2016

विषयः- केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय (शिक्षा प्रभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-20014/26/2012-शिक्षा, दिनांक-30.09.2016 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-464/ज0जा0वि0/2015-16,दिनांक-05.03.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-81 के अधीन संचालित केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-400.00 लाख (रूपया चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-400.00 लाख (रूपया चार करोड़ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभार्थियों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार गत वर्ष 2015-16 की देयता के भुगतान हेतु भी किया जा सकेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-दशमोत्तर कक्षाओं मे अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तिया(के.100 प्रति.रा0 प्रति.)21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामे" डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

पृ0संख्या-204/2016/आर-5385(1)/26-3-2016- तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, एन0आई00सी0 की एक प्रति।
5- राज्य योजना आयोग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।